कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् सुनिता दोचानियाँ व्याख्याता, अंग्रेजी राबाउमावि. लूणकरनसर, बीकानेर का स्थानांतरण राउमावि खिंयेरा, बीकानेर किया गया। सुनिता दोचानियाँ द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 14730/2019 सुनिता दोचानियाँ बनाम सरकार दायर की गई।

याचिका संख्या 14730/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2019 द्वारा याचिकार्थीया सुनिता दोचानियाँ को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। याचिकार्थीया के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थीया के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थीया सुनिता दोचानियाँ द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के एकल तलाकशुदा महीला होने के आधार पर अपना पदस्थापन निम्नलिखित विद्यालय यथा 1. शहीद मेजर जेम्स थॉमस राउमावि बीकानेर, 2. राबाउमावि सूरसागर बीकानेर 3. राबाउमावि गुरूद्वारा बीकानेर 4. राउमावि पाबूबारी, बीकानेर 5. राउमावि शिवबाड़ी, बीकानेर 6. राउमावि गोगागेट बीकानेर में करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। उक्तानुसार याचिकार्थीया सुनिता दोचानियाँ के स्थान पर अन्य कार्मिक का पदस्थापन हो जाने एवं उनके द्वारा कार्यग्रहण कर लेने के कारण पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में तथा याचिकार्थिया द्वारा इच्छित पदस्थापन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने के कारण इनकी मांग न्यायोचित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार व अन्य प्रकरण में पारित निर्णयानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र किये गए स्थानान्तरण आदेशों से किसी लोकसेवक के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होता। याचिकार्थीया द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार प्रकरण में अवधारित किया गया है कि **"A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred/posted from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest"**

C-1 Court Case 15

Scanned by CamScanner

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थीया द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.10.2019 में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थीया के अभ्यावेदन निस्तारण कर स्थगित किया था। चूंकि सुनिता दोचानियाँ का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है। अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि खिंयेरा, बीकानेर में व्याख्याता के पद पर दिनांक 18.10.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/अंग्रेजी/एसबीसियासं 14730/सुनिता दोचानियां/2019/04 दिनांकः– 16/10/19

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिता दोचानियां के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. सुनिता दोचानियां व्याख्याता, अंग्रेजी।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner